कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बस्ती

विज्ञप्ति

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र सं०–1538/S.L.S.A.–37A/2010 Dated: 06.05.2024 एवं पत्र सं०–1818/S.L.S.A.–37A/2010 Dated: 22.05.2024 के अनुपालन में उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद न्यायालय बस्ती में स्थापित ए०डी०आर० केन्द्र एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बस्ती हेतु (02) दो पद तृतीय श्रेणी कर्मचारी (कनिष्ठ लिपिक) मासिक पारिश्रमिक 10,730/– रु० पर संविदा के रूप में नियुक्ति किये जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुआ है जिसके अनुक्रम में प्राप्त 115 आवेदनों के हेतु स्क्रीनिंग परीक्षा दिनांक 04.08.2024 को जिला न्यायालय, बस्ती में दस कक्षीय भवन के भूतल पर स्थित हॉल ऑफ जस्टिस / केन्द्रीय सभागार में आयोजित की जायेगी। दो पद के सापेक्ष प्राप्त आवेदनों की संख्या अधिक होने के कारण स्टेशनरी आदि हेतु आने वाले सम्भावित खर्च को देखते हुए प्रत्येक अभ्यर्थी से मु०–100/– रुपये की धनराशि नगद वसूल की जायेगी। परीक्षा तिथि से दो दिन पूर्व से अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क मु०–100/– अदा करने के उपरान्त अपना प्रवेश पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बस्ती से प्राप्त कर सकेंगे एवं परीक्षा के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों के लिए सामान्य निर्देश इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न किया जा रहा है, जिसे अभ्यर्थी जनपद न्यायालय, बस्ती की वेबसाईट https://basti.dcourts.gov.in/–से डाउनलोड कर सकते हैं।

24/07/2024

अध्यक्ष/अपर जिला एवं सत्र
न्यायाधीश कोर्ट सं०–01, जनपद बस्ती।

अभ्यर्थियों के लिए सामान्य निर्देश-

1- दो पदों के सापेक्ष प्राप्त आवेदनों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन किया जायेगा।

2- परीक्षा की तिथि की जानकारी जिला न्यायालय व जिला विधिक प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर व अन्य माध्यमों से अभ्यर्थीगण को प्रदान की जायेगी।

3- परीक्षा की तिथि के दो दिन पूर्व न्यायालय कार्य दिवस में मु० -100/- रुपया नगद शुल्क अदा कर प्रवेश पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा, जिस हेतु अभ्यर्थीगण प्रवेश पत्र प्राप्त करने के समय अपनी अद्यतन पासपोर्ट साइज की दो फोटो व पहचान के लिए आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/चालक अनुज्ञप्ति/सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत कोई अन्य पहचान पत्र लेकर आना होगा।

4- स्क्रीनिंग परीक्षा में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होगें, प्रश्न सामान्य समक्ष यथा-अंग्रेजी भाषा, हिन्दी भाषा, सामान्य ज्ञान, कम्प्यूटर के ज्ञान, सामान्य गणित व तर्कशक्ति पर आधारित होगें। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। प्रश्नपत्र का माध्यम केवल हिन्दी होगा। प्रश्नों के उत्तरों पर किसी विवाद की स्थिति में अन्तिम निर्णय माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, बस्ती द्वारा लिया जायेगा। यदि किसी प्रश्न की ड्राफ्टिंग या टाइपिंग की त्रुटि पायी जाती है तो ऐसे प्रश्न पर समस्त अभ्यर्थीगण को समान अंक प्रदान किया जायेगा।

5- स्क्रीनिंग परीक्षा का कुल समय एक घण्टे का होगा, इस हेतु कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। स्क्रीनिंग परीक्षा जिला न्यायालय, बस्ती में दस कक्षीय भवन के भूतल पर स्थित हॉल ऑफ जस्टिस / केन्द्रीय सभागार में आयोजित की जायेगी।

6- अभ्यर्थीगण स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए अपना-अपना क्लिपबोर्ड, नीला बॉलपॉइन्ट पेन लेकर आयेगें।

7- अभ्यर्थीगण जेल पेन, व मोबाइल, कैलकुलेटर, डिजिटल वाच व अन्य इलेक्ट्रानिक सामग्री का प्रयोग के दौरान वर्जित रहेगा।

8- अभ्यर्थीगण को प्रश्नों के विकल्प को नीले बॉलपॉइन्ट पेन से सर्किल करना होगा, जिसका उदाहरण इस निर्देश के अन्त में दिया जा रहा है। प्रश्नों के विकल्पों को अभ्यर्थीगण द्वारा टिक या सही का निशान लगाना वर्जित रहेगा और यदि अभ्यर्थीगण की उत्तर पुस्तिका में टिक या सही का निशान पाया जाता है तो उन प्रश्नों की गणना नहीं की जायेगी और उन प्रश्नों का अंक शून्य माना जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक विकल्पों को सर्किल किया जाता है या एक विकल्प को कट करके दूसरे विकल्प का चयन किया जाता है तो ऐसे प्रश्न का अंक शून्य माना जायेगा। परीक्षा के दौरान ब्लेड या व्हाइटनर का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित रहेगा। यदि ब्लेड या व्हाइटनर प्रयोग किया जाता है तो ऐसे प्रश्न पर कोई अंक देय नहीं होगा।

9- स्क्रीनिंग परीक्षा हेतु अभ्यर्थीगण को परीक्षा शुरु होने के एक घण्टा पहले परीक्षा स्थल पर रिपोर्टिंग करनी होगी और परीक्षा हॉल में परीक्षा शुरु होने के तीस मिनट पूर्व प्रवेश दिया जायेगा तथा परीक्षा शुरु होने के दस मिनट पश्चात् परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। किसी विवाद की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रवेश के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।

10- बिना प्रवेश पत्र, मूल पहचान पत्र (आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/चालक अनुज्ञप्ति/सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत कोई अन्य पहचान पत्र) के बिना अभ्यर्थीगण को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा , इस बावत विपरीत परिस्थितियों में निर्णय लेने की अधिकारिकता सक्षम अधिकारी के पास रहेगी। अभ्यर्थीगण अपने मूल पहचान पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति परीक्षा के समय साथ लेकर आयेगें, जिसे कक्ष निरीक्षक के पास जमा करेंगें।

11- प्रश्न/उत्तर पुस्तिका के अन्त में रफ वर्क के लिए एक पेज संलग्न रहेगा, अभ्यर्थीगण समस्त रफ वर्क इसी पृष्ठ पर करेंगे।

12- यदि कोई अभ्यर्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाया जाता है तो उसकी परीक्षा व उसका अभ्यर्थन सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा और उसको डिबार करने के अन्य विधिक निकायों को विधिक कार्यवाही के लिए सूचित किया जा सकता है।

13- उक्त दोनों पद अनारक्षित श्रेणी के होगें।

14- अभ्यर्थीगण को इस हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

15- अभ्यर्थीगण प्रश्न/उत्तर पुस्तिका परीक्षा समाप्त होने के उपरान्त सम्बन्धित कक्ष निरीक्षक को जमा करने के उपरान्त ही अपनी सीट छोड़ेगें।

16- एक पद के सापेक्ष दस गुना अभ्यर्थीगण सफल घोषित किये जायेंगे। सफल अभ्यर्थीगण हिन्दी व अंग्रेजी के टाइपिंग टेस्ट के लिए उपस्थित आयेंगे जिसकी सूचना सफल अभ्यर्थीगण को नियमानुसार जिला न्यायालय बस्ती व जिला विधिक प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट व अन्य माध्यमों से प्रदान की जायेंगी।

17- सफल अभ्यर्थीगण जो स्क्रीनिंग पदों के सापेक्ष उत्तीर्ण होंगे उनके लिए 25 शब्द प्रतिमिनट हिन्दी टाइपिंग (Inscript / Remington) व 30 शब्द प्रतिमिनट अंग्रेजी टाइपिंग आवश्यक होगी।

18- हिन्दी की टाइपिंग के लिए दस मिनट में 250 शब्द टाइप करना होगा, प्रत्येक शब्द एक अंक का होगा, यदि कोई शब्द भाषायी, वर्तनी के आधार पर त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो प्रति शब्द एक अंक काट लिया जायेगा। यदि अभ्यर्थी निर्धारित समय में 250 शब्द से कम टाइप करता है तो ऐसे कम टाइप किये गये प्रत्येक शब्द का एक अंक काट लिया जायेगा।

19- अंग्रेजी की टाइपिंग के लिए दस मिनट में 300 शब्द टाइप करना होगा, प्रत्येक शब्द एक अंक होगा, यदि कोई शब्द भाषायी, वर्तनी के आधार पर त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो प्रति शब्द एक अंक काट लिया जायेगा। यदि अभ्यर्थी निर्धारित समय में 300 शब्द से कम टाइप करता है तो ऐसे कम टाइप किये गये प्रत्येक शब्द का एक अंक काट लिया जायेगा।

20- अभ्यर्थीगण के अन्तिम चयन के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा में प्राप्त अंकों व टंकण परीक्षा (हिन्दी व अंग्रेजी) में प्राप्त अंको को जोड़ा जायेगा और पदों के सापेक्ष अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के चयन की अनुशंसा शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के अधीन रहते हुए की जायेगी। अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अन्तिम दो अभ्यर्थीगण के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में यदि त्रुटि पायी जाती है तो उसके नीचे उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थीगण की नियुक्ति पर विचार किया जायेगा।

21- यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान रूप से अधिकतम अंक प्राप्त करते हैं तो उनमें से अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को कम उम्र वाले अभ्यर्थी पर वरीयता प्रदान की जायेगी।

22- किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्राधिकार जनपद बस्ती होगा।

23- प्रश्नों के प्रारुप निम्नवत है-

(क)- भारत की राजधानी कहाँ स्थित है ?

(a) दिल्ली (b)लखनऊ (c) नई दिल्ली (d)मुम्बई

(ख)- उत्तर प्रदेश राज्य के वर्तमान समय में राज्यपाल कौन है ?

(a) अरविन्द केजरीवाल (b)राम नाईक (c) योगी आदित्यनाथ (d) आनन्दी बेन

उपर्युक्त दोनों प्रश्नों (क) व (ख) में सही विकल्प चुनने का तरीका प्रश्न (क) है जिसमें सही विकल्प को गोला (Circle) किया गया है।